23/9/24 — आज पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं अनुपस्थित। वकील वादी अनुपस्थित। बार बार आवाज लगाने पर उनके चैम्बर में कोई व्यक्ति या वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण 45 दिन का अधिक समय आवाज दिलवाए गये वादी या वादी पक्ष के कोई उपस्थित नहीं। अतः इसलिए वादी का वाद अदम पैरवी व अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर अभिलेखागार में भेजी जाए। आज दिनांक 23/9/24 को घोषित।